

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2248  
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मातृ मृत्यु दर

†2248. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) देश में मातृ मृत्यु दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेष रूप से पंजाब के संबंध में ज़िला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियान्वित करने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों या आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है; और
- (घ) पंजाब में जिलों के विशिष्ट ब्यौरे सहित इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने संस्थागत प्रसव हुए हैं;
- (ङ) देश में पीएमएमवीवाई 2.0 के अंतर्गत स्थापित पोर्टल के माध्यम से राज्य-वार कितने लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) प्रदान करती है। मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार, देश में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 88 है। पंजाब सहित राज्यवार मातृ मृत्यु दर अनुलग्नक I में दी गई है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का विवरण तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण क्रमशः अनुलग्नक II और अनुलग्नक III में दिया गया है।

(ग): जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) देश भर में संस्थागत प्रसव कराने वाली सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में लागू है। तेलंगाना राज्य को छोड़कर, जो पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा है, देश भर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है।

(घ): पंजाब राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत कवर किए गए संस्थागत प्रसवों की जिलावार संख्या अनुलग्नक V में दी गई है।

(ङ): योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर में पीएमएमवीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक VI में दी गई है।

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक I

एसआरएस (2020-22) के अनुसार भारत और राज्यवार मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर)		
क्र. सं.	राज्य	एमएमआर (प्रति लाख जीवित जन्म)
	भारत	88
1	आंध्र प्रदेश	47
2	असम	125
3	बिहार	91
4	छत्तीसगढ़	141
5	गुजरात	55
6	हरियाणा	89
7	झारखंड	50
8	कर्नाटक	58
9	केरल	18
10	मध्य प्रदेश	159
11	महाराष्ट्र	36
12	ओडिशा	136
13	पंजाब	92
14	राजस्थान	87
15	तमिलनाडु	38
16	तेलंगाना	50
17	उत्तर प्रदेश	141
18	उत्तराखंड	104
19	पश्चिम बंगाल	105

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक ॥

जेएसवाई के तहत वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन (लाख रुपये में)						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.63	3.78	5.63	5.69	4.29
2	आंध्र प्रदेश	3445.90	3861.90	4053.00	4053.00	4,011.15
3	अरुणाचल प्रदेश	274.30	345.38	309.62	325.46	279.51
4	असम	6933.61	6872.87	7917.38	8248.54	8,536.93
5	बिहार	39083.20	39358.20	39358.20	41325.11	32,930.00
6	चंडीगढ़	3.92	3.02	2.18	2.18	0.74
7	छत्तीसगढ़	6860.70	6981.45	6935.25	7285.20	7,605.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30.99	31.31	32.32	32.32	32.14
9	दिल्ली	142.00	142.00	138.50	138.50	50.90
10	गोवा	3.80	3.80	3.99	3.99	3.99
11	गुजरात	3449.65	3149.66	3217.33	3217.33	3,132.94
12	हरियाणा	450.20	435.20	370.91	370.91	793.04
13	हिमाचल प्रदेश	196.50	196.50	207.49	213.88	210.50
14	जम्मू और कश्मीर	7901.03	2972.03	2733.03	2733.03	2,733.03
15	झारखंड	9014.25	9014.25	9014.25	9539.25	9,962.00
16	कर्नाटक	4945.00	4720.20	4320.20	4320.20	3,485.98
17	केरल	1544.23	1178.04	1480.31	1480.31	1,615.22
18	लद्दाख	73.47	79.27	76.50	76.50	74.90
19	लक्षद्वीप	12.82	13.00	13.00	13.65	13.00
20	मध्य प्रदेश	22108.75	22107.75	21861.25	21861.25	22,154.25
21	महाराष्ट्र	4382.59	4280.79	4254.45	4254.45	4,604.90
22	मणिपुर	168.53	168.53	168.53	168.53	160.50
23	मेघालय	390.00	485.00	566.90	566.90	672.63
24	मिजोरम	195.11	166.33	167.45	169.86	200.06
25	नागालैंड	154.60	161.82	120.65	132.15	121.25
26	ओडिशा	8894.19	9208.38	9388.40	9976.15	9,416.10
27	पुदुचेरी	57.61	57.55	57.55	57.55	62.81
28	पंजाब	1042.00	1032.00	1084.30	1084.30	1,133.00
29	राजस्थान	19885.85	19867.67	18981.00	19474.72	19,489.05
30	सिक्किम	33.38	30.43	30.93	30.93	31.95
31	तमिलनाडु	3371.49	3371.88	3453.93	3453.93	2,742.22
32	तेलंगाना	3195.30	1542.77	1770.96	1770.96	3,412.64
33	त्रिपुरा	309.00	388.00	320.50	349.50	309.75
34	उत्तर प्रदेश	52725.94	52920.67	54763.67	54763.67	54,897.23
35	उत्तराखंड	1812.42	1540.21	1718.43	1623.93	1,759.88
36	पश्चिम बंगाल	8233.85	8043.33	8494.81	8494.81	7,766.46

स्रोत: (1) कार्यवाही-रिकॉर्ड (आरओपी) के अनुसार एसपीआईपी अनुमोदन।

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक ॥ (जारी)

वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जेएसवाई व्यय दर्शाने वाला विवरण (लाख रुपये में)						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.70	1.32	0.75	1.04	1.25
2	आंध्र प्रदेश	3,028.47	1,747.25	2,528.71	4,088.97	2,651.13
3	अरुणाचल प्रदेश	166.85	69.66	301.98	52.48	29.59
4	असम	7,017.89	6,919.93	7,871.59	7,451.78	7,548.23
5	बिहार	27,153.73	24,905.95	29,563.10	27,650.71	26,867.77
6	चंडीगढ़	2.47	1.87	0.70	1.22	0.74
7	छत्तीसगढ़	6,445.84	6,349.13	7,593.36	6,292.06	6,545.41
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	29.24	28.93	24.37	16.87	40.66
9	दिल्ली	33.37	38.85	41.50	51.28	46.03
10	गोवा	2.04	0.52	1.97	2.62	3.09
11	गुजरात	2,888.01	2,373.59	2,532.93	4,379.25	1,753.93
12	हरियाणा	536.90	582.49	641.22	534.41	586.80
13	हिमाचल प्रदेश	437.32	626.53	512.23	483.79	496.30
14	जम्मू और कश्मीर	2,260.37	2,160.45	2,397.42	1,689.38	3,124.70
15	झारखंड	6,959.84	3,797.86	7,334.31	8,209.81	7,353.28
16	कर्नाटक	4,590.02	3,524.84	4,064.05	4,391.89	3,485.98
17	केरल	2,093.44	1,397.41	1,836.30	1,143.47	1,631.71
18	लद्दाख	49.40	132.11	62.69	44.16	42.21
19	लक्षद्वीप	22.91	9.78	18.44	12.10	20.08
20	मध्य प्रदेश	17,753.76	19,689.00	19,085.77	19,489.27	17,313.37
21	महाराष्ट्र	4,286.95	3,698.46	5,105.59	4,660.26	4,412.81
22	मणिपुर	66.33	21.54	17.12	13.32	136.23
23	मेघालय	393.38	92.75	360.73	264.64	577.56
24	मिजोरम	83.05	108.68	97.56	70.36	59.00
25	नागालैंड	71.14	59.95	57.11	94.17	127.98
26	ओडिशा	9,433.84	11,924.48	9,209.66	8,472.30	7,462.83
27	पुदुचेरी	39.64	15.68	44.71	63.07	51.05
28	पंजाब	889.85	747.44	806.97	1,084.30	797.27
29	राजस्थान	17,404.90	15,832.16	19,033.50	18,497.29	17,034.92
30	सिक्किम	7.96	41.45	30.08	34.04	43.19
31	तमिलनाडु	2,307.72	1,498.77	2,660.00	2,385.29	3,340.17
32	तेलंगाना	2,013.26	3,222.07	1,674.05	1,693.76	1,670.00
33	त्रिपुरा	236.76	86.44	277.73	241.76	262.59
34	उत्तर प्रदेश	44,436.57	28,696.63	42,284.58	47,531.53	43,805.01
35	उत्तराखंड	1,303.72	1,164.28	1,253.52	1,307.25	1,202.74
36	पश्चिम बंगाल	8,111.64	6,304.96	8,483.51	9,086.17	8,094.52

स्रोत: वित्त वर्ष 2021-22 (जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तिमाही रिपोर्ट में साझा किया गया है) और अन्य वित्तीय वर्ष जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएचएम वित्त प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को साझा किया गया है।)

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक III

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)											
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.98	1.01	1.19	0.71	0.18	0.74	0	0.4	0.33	0.46
2	आंध्र प्रदेश	14.39	78.48	20.22	14.43	71.89	95.81	57.99	42.8	44.96	70.73
3	अरुणाचल प्रदेश	8.72	3.25	1.13	6.31	1.43	2.29	0	0.57	1.98	1.84
4	असम	94.69	64.42	35.47	95.78	79.18	80.37	155.05	62.33	77.07	107.1
5	बिहार	319.98	498.93	211.74	113.71	171.74	216.2	0	31.7	141.53	194.85
6	चंडीगढ़	4.4	2.35	1.89	2.27	0.62	0.05	4.08	1.35	0	1.63
7	छत्तीसगढ़	9.66	58.86	38.66	34.78	72.75	44.99	0	19.03	68.72	87.79
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.34	2.45	1.71	0.04	1.84	1.64	0.91	1.37	2.44	2.83
9	गोवा	0.12	1.95	1.09	0.73	1.61	1.12	0	0.4	1.86	1.97
10	गुजरात	0	47.11	46.32	25.21	10.75	94.37	75.64	38.92	72.48	105.3
11	हरियाणा	7.36	40.87	40.02	40.91	63.66	44.57	0	2.97	33.3	37.95
12	हिमाचल प्रदेश	7.73	20.61	21.17	18.88	14.19	16.23	10.56	3.68	26.85	20.14
13	जम्मू और कश्मीर	7.5	20.14	39.34	32.85	20.6	24.43	33.6	2.82	41.9	52.2
14	झारखंड	16.27	57.23	58.39	35.24	29.27	27.97	0	15.8	39.31	57.93
15	कर्नाटक	37.92	96.47	142.77	72.57	148.87	210.1	113.96	39	159.96	177.33
16	केरल	15.29	68.4	53.37	57.5	53.96	45.93	61.06	20.33	0	52.73
17	लद्दाख	0.76	0.27	0.38	0.36	0.31	0.07	0.69	0.85	0.62	0.98
18	लक्षद्वीप	0.06	0.17	0.11	0.14	0.01	0	0.23	0.11	0.27	0.34
19	मध्य प्रदेश	62.78	179.68	130.29	102.19	204.02	101.21	105.51	95.27	257	264.64
20	महाराष्ट्र	113.11	264.85	99.50	149.02	240.83	152.86	0	26.84	141.17	125.94

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)											
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई	निर्गत	उपयोग की गई
21	मणिपुर	6.48	6.96	1.15	2.90	3.45	3.45	7.93	4.08	0	8.5
22	मेघालय	5.08	4.85	5.08	6.06	6.26	6.04	0	6.38	3.45	7.26
23	मिजोरम	5.46	3.07	2.90	2.99	1.99	1.78	1.4	1.94	2.55	1.63
24	नागालैंड	1.39	2.67	4.98	2.13	2.03	6.95	2.42	1.91	4.18	4.06
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5.46	26.68	28.31	25.82	31.46	27.47	27.15	11.07	20.08	27.74
26	ओडिशा#	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	43.48	0
27	पुदुचेरी	0.85	1.87	2.39	2.98	1.96	1.82	0	0.05	1.76	3.06
28	पंजाब	12.79	29.74	16.47	9.9	18.82	34.54	32.05	29.72	32.03	47.87
29	राजस्थान	100.02	151.23	108.20	98.06	81.84	114.15	123.23	56.33	98.17	182.88
30	सिक्किम	0.57	1.06	0.42	0.44	0.7	1.11	1.28	0.37	0	1.28
31	तमिलनाडु	93.39	195.97	35.02	111.21	68.03	75.81	0	63.29	95.62	66.93
32	त्रिपुरा	7.55	6.98	4.53	4.49	3.27	4.71	11.31	2.75	5.42	14.37
33	उत्तर प्रदेश	99.28	476.85	290.85	199.70	500.68	384.53	0	74.79	0	82.55
34	उत्तराखंड	18.97	26.29	20.71	23.81	16.69	7.1	30.35	19.68	26.41	37.86
35	पश्चिम बंगाल	0	0.56	162.58	0.005	63.22	39.09	0	0.58	0	0
स्रोत: महिला और बाल विकास मंत्रालय											

नोट:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को लागू नहीं कर रही है
2. ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।
3. उपयोग की गई राशि जारी की गई राशि से अधिक हो सकती है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों की अप्रयुक्त राशि शामिल है।

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक IV

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या का विवरण		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचालित आंगनवाड़ी केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	55746
2	अरुणाचल प्रदेश	6225
3	असम	62093
4	बिहार	115009
5	छत्तीसगढ़	52510
6	गोवा	1261
7	गुजरात	53065
8	हरियाणा	25962
9	हिमाचल प्रदेश	18925
10	झारखंड	38744
11	कर्नाटक	66098
12	केरल	33120
13	मध्य प्रदेश	97806
14	महाराष्ट्र	110629
15	मणिपुर	11528
16	मेघालय	6162
17	मिजोरम	2244
18	नागालैंड	3980
19	ओडिशा	74222
20	पंजाब	27314
21	राजस्थान	61929
22	सिक्किम	1308
23	तमिलनाडु	54481
24	त्रिपुरा	10275
25	उत्तर प्रदेश	189736
26	उत्तराखंड	20064
27	पश्चिम बंगाल	119481
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720
29	चंडीगढ़	450
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	405
31	दिल्ली	10897
32	जम्मू और कश्मीर	28183
33	लद्दाख	1172
34	लक्षद्वीप	59
35	पुडुचेरी	855
स्रोत: महिला और बाल विकास मंत्रालय		

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

## अनुलग्नक V

पंजाब के जिलों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत कवर किए गए संस्थागत प्रसवों की वर्ष-वार कुल संख्या						
क्र. सं.	जिले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अमृतसर	2807	4274	6771	4532	4449
2	बरनाला	558	383	1193	1110	832
3	बठिंडा	2273	1832	2403	2225	1747
4	फरीदकोट	1168	798	1539	1191	694
5	फतेहगढ़ साहिब	475	653	918	676	854
6	फाजिल्का	2971	2644	2251	2979	3437
7	फिरोजपुर	1585	1629	2132	2573	3274
8	गुरदासपुर	3315	1890	2201	2235	2833
9	होशियारपुर	2706	2440	3145	7251	3755
10	जालंधर	5054	3957	4713	4946	4139
11	कपूरथला	3682	3622	3234	1691	1424
12	लुधियाना	4201	2233	5278	4918	4272
13	मलेरकोटला	0	0	974	869	990
14	मानसा	3858	3133	1957	1945	1467
15	मोगा	1916	1087	1595	1308	841
16	मुक्तसर	2122	1468	2210	1947	1414
17	पठानकोट	4103	3262	935	869	835
18	पटियाला	374	419	4227	4222	4166
19	रूपनगर	2433	2466	3226	2187	1311
20	एसएस नगर	1922	1778	1442	1225	855
21	एसबीएस नगर	2764	2522	2745	2480	1983
22	संगरूर	3481	2671	2286	1967	2026
23	तरनतारन	2147	1824	3021	1589	1301

स्रोत: पंजाब राज्य द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े



दिनांक 01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के भाग (ड) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक VI

पीएमएमवीवाई योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक नामांकित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11,569
2	आंध्र प्रदेश	20,39,783
3	अरुणाचल प्रदेश	40,252
4	असम	16,28,921
5	बिहार	48,10,242
6	चंडीगढ़	41,484
7	छत्तीसगढ़	12,06,089
8	दिल्ली	6,16,549
9	गोवा	37,067
10	गुजरात	18,10,670
11	हरियाणा	10,25,766
12	हिमाचल प्रदेश	3,64,329
13	जम्मू और कश्मीर	5,19,395
14	झारखंड	11,54,960
15	कर्नाटक	30,45,460
16	केरल	12,58,713
17	लद्दाख	8,985
18	लक्षद्वीप	3,329
19	मध्य प्रदेश	48,17,227
20	महाराष्ट्र	42,98,090
21	मणिपुर	96,827
22	मेघालय	77,971
23	मिजोरम	50,080
24	नागालैंड	52,370
25	ओडिशा	61
26	पुदुचेरी	46,089
27	पंजाब	8,33,472
28	राजस्थान	29,83,732
29	सिक्किम	28,824
30	तमिलनाडु	20,79,951
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27,859
32	त्रिपुरा	1,50,113
33	उत्तर प्रदेश	68,10,552
34	उत्तराखंड	4,67,876
35	पश्चिम बंगाल	24,36,460
	<b>कुल</b>	<b>4,48,81,120</b>
स्रोत: पीएमएमवीवाई पोर्टल (दिनांक 21.07.2025 की स्थिति के अनुसार)		

\*\*\*\*\*